उत्तराखण्डसरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवंलोकसम्पर्कविभाग, उत्तराखण्ड
सूचनाभवन, लाडपुर, रिंगरोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.inदूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 1011 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–01 / 2018 दिनांक : 18 अक्टूबर, 2022

विज्ञप्ति

संयुक्त सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः INFO-6/1/2022-XXII-1- Information Department (Computer No.14118) , दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 के अनुसार विज्ञप्ति संख्याः 739, दिनांक 05 अगस्त, 2021 के माध्यम से उत्तराखण्ड विज्ञापन अनुश्रवण समिति के रिक्त अध्यक्ष पद हेतु विभाग को निर्धारित तिथि तक पर्याप्त आवेदन–पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त पद की पूर्ति हेतु आवेदन–पत्र पुनः आमंत्रित किये जा रहे हैं।

उक्त पद से संबंधित समस्त विवरण, कार्यक्षेत्र व आवश्यक अर्हताएं एवं शर्तें (उत्तराखण्ड विज्ञापन अनुश्रवण समिति के गठन हेतु दिशा–निर्देश (Guidelines,2019) तथा आवेदन का प्रारूप सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड की वेबसाईट uttarainformation.gov.in में देखा जा सकता है।

इच्छुक अभ्यर्थी पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 30 नवम्बर, 2022 तक अपने आवेदन–पत्र अधोहस्ताक्षरी के सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून स्थित कार्यालय में उपलब्ध करा सकते हैं, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में अध्यक्ष पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, उन्हें पुनः अवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक, सूचना

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड विज्ञापन अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नामः—..
2. पिता का नामः—..
3. जन्मतिथिः—..
4. वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग)..
5. योग्यता
   (1) शैक्षणिक योग्यताः—..
   (2) पत्रकारिता का अनुभव या
   प्रशासनिक अनुभव का विवरणः—..
6. यदि अखिल भारतीय सेवा संवर्ग से नियुक्त अधिकारी रहे हो तो उसका विवरणः—
   (1) नियुक्ति का दिनांक..
   (2) सेवानिवृत्ति का दिनांक..
   (3) सेवानिवृत्ति के समय धारित पद..
   (4) वर्तमान व्यवसाय..
7. यदि विज्ञापन/प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो उसका विवरण दें एवं अभिलेखों भी सलग्न करें।
   ....
   ....
8. यदि कोई अपराधिक प्रकरण/विभागीय जॉच न्यायालय में लम्बित हो तो उसका विवरण..
9. यदि कोई आपराधिक प्रकरण/विभागीय जॉच में न्यायालय द्वारा दण्डित हुए हों तो विवरण दें।..
10. वर्तमान पत्राचार का पताः—
    (अ) दूरभाष क्रमांक (एस.टी.डी.कोड)..
    (ब) मोबाईल नंबर..
    (स) ई—मेल..
11. मेरे द्वारा विज्ञप्ति/गाईडलाईन में उल्लेखित समस्त शर्तें पढ़ ली गई हैं, जिनसे मैं सहमत हूँ एव आवेदन पत्र में दिये गये सम्पूर्ण तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं।

स्थानः—..................
दिनांक..................

आवेदक के हस्ताक्षर

नोटः—

- अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित एवं अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(आवेदक अपनी योग्यता, ख्याति एवं सेवा आदि संबंधी अभिलेखों की स्वप्रमाणित पठनीय छायाप्रतियॉ संलग्न करेंगे)

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग–01
संख्या–/ 142 / XXII-1 / 2020–2(5)2015 टी.सी.
देहरादून : दिनांक 22 जुलाई, 2020

शासनादेश संख्या–141 / XXII-1 / 2020–2(5)2015 टी.सी., दिनांक 22 जुलाई 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड विज्ञापन अनुश्रवण समिति के गठन हेतु (संशोधित) दिशा–निर्देश, 2020 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. संयुक्त सचिव (नीति एवं प्रशासन), भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
2. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, न्याय उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून।
7. सदस्य सचिव, विज्ञापन अनुश्रवण समिति।
8. समस्त सदस्य–विज्ञापन अनुश्रवण समिति।
9. गार्ड फाइल।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग–01
संख्याः–141/XXII-1/20–2(5)2015टी.सी.
देहरादूनः दिनांक 22 जुलाई, 2020

राज्य सरकार, उत्तराखण्ड विज्ञापन अनुश्रवण समिति के गठन हेतु दिशा–निर्देश (Guidelines), 2019 में अग्रेत्तर संशोधन करने हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

उत्तराखण्ड विज्ञापन अनुश्रवण समिति के गठन हेतु (संशोधित) दिशा–निर्देश, 2020

प्रस्तर–1 का संशोधन

उत्तराखण्ड विज्ञापन अनुश्रवण समिति के गठन हेतु दिशा–निर्देश (Guidelines), 2019 के प्रस्तर–1 के बिन्दु संख्याः–3 के स्थान पर निम्न बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्

3. सदस्यः भारतीय प्रेस परिषद द्वारा उत्तराखण्ड राज्य से नामित कोई सदस्य।

अथवा

उपरोक्त सदस्य उपलब्ध न होने की दशा में उत्तराखण्ड राज्य से नामित कोई वरिष्ठ पत्रकार।

(दिलीप जावलकर)
सचिव

Government of Uttarakhand
Information Section-01
No. 1141 /XXII-1/20-2(5)2015 T.C
Dehradun: 22 July, 2020

The State Government gives approval to issue the following guidelines for further amendment in the Guidelines for Constitution of Uttarakhand Advertisement Monitoring Committee, 2019.

Guidelines for the Constitution of Uttarakhand Advertisement Monitoring Committee (Amendment), 2020

Amendment of Para - 1

For point-3 of para-1 of the Guidelines for Constitution of Uttarakhand Advertisement Monitoring Committee, 2019, the following point shall be substituted, namely:-

3. Member - A member from State of Uttarakhand, nominated by Press Council of India.

Or

In case of non-availability of above mentioned member any Senior journalist nominated from the State of Uttarakhand.

(Dilip Jawalkar)
Secretary

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड शासन

सूचना अनुभाग-01

संख्या-1178/XXII-1/2019-2(5)2015 टी.सी.

देहरादून : दिनांक 06 दिसम्बर, 2019

उत्तराखण्ड विज्ञापन अनुश्रवण समिति के गठन हेतु प्रस्तावित दिशा-निर्देश (Guidelines), 2019 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. संयुक्त सचिव (नीति एवं प्रशासन), भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
2. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, न्याय उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून।
7. सदस्य सचिव, विज्ञापन अनुश्रवण समिति।
8. समस्त सदस्य-विज्ञापन अनुश्रवण समिति।
9. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोपरि।

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

A ua.doc 1058

संलग्नक..संख्या-[illegible]/[illegible]/2019-7(5)2016 [illegible]

उत्तराखण्ड विज्ञापन अनुश्रवण समिति के गठन हेतु दिशा-निर्देश (Guidelines) 2019

उद्देश्य

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP (Civil) No. 13 of 2003 with WP (Civil) No. 197 of 2004 and WP (Civil) No. 302 of 2012 में दिनांक 13.05.2015 को पारित निर्णय/आदेश के अनुपालन में सरकारी विज्ञापनों के सामग्री विनियमन हेतु, राज्य सरकार को तटस्थता और निष्पक्षता के साथ एक निर्विवाद ऐसे तीन सदस्यीय विज्ञापन अनुश्रवण समिति का गठन करना है जिसमें ऐसे तटस्थ और निष्पक्ष व्यक्ति हों जिन्होंने अपने अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। अतः मा. सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में सरकारी विज्ञापनों के सामग्री विनियमन हेतु, तीन सदस्यीय विज्ञापन अनुश्रवण समिति के कार्य/दायित्व, कार्यकाल, मानदेय आदि को विनियमित करने के लिए सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित दिशा-निर्देश निर्धारित किये जा रहे हैं:-

1. तीन सदस्यीय समिति की संरचना

1. **अध्यक्ष** : अध्यक्ष/सदस्य, सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा संवर्ग, जो कि राज्य सरकार के सचिव स्तर से अन्यून न हो अथवा किसी ख्याति प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार;
2. **सदस्य** : विज्ञापन/प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति;
3. **सदस्य** : भारतीय प्रेस परिषद द्वारा उत्तराखण्ड से नामित सदस्य।

महानिदेशक, सूचना द्वारा तीन सदस्यीय अनुश्रवण समिति के सदस्य सचिव के रूप में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड के अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को नामित किया जायेगा।

2. समिति के चयन के लिए सर्च कमेटी का गठन

तीन सदस्यीय समिति के गठन के लिए राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से निम्नानुसार सर्च कमेटी का गठन किया जायेगा:-

(क) **अध्यक्ष** : मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन;
(ख) **सदस्य** : प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन;
(ग) **सदस्य** : प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन;
(घ) **सदस्य सचिव** : महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

Scanned by CamScanner

तीन सदस्यीय सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा सर्च कमेटी के द्वारा प्रस्तावित नाम के पैनल में से की जायेगी।

3. **तीन सदस्यीय समिति का क्षेत्राधिकार**

राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित समस्त विज्ञापनों से सम्बन्धित प्रकरण जिसके अन्तर्गत :–

1. राज्य सरकार के समस्त शासकीय विभाग;
2. राज्य के स्थानीय निकाय/स्वायतशासी संस्थान/परिषद/निगम;
3. राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वयंसेवी संस्थान एवं अन्य संस्थान शामिल होंगे।

परन्तु जिन संस्थानों को राज्य सरकार सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान नहीं की जाती उनके विज्ञापन इस समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आयेंगे।

4. तीन सदस्यीय समिति के कार्य और शक्तियाँ

1. समिति मा. सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों के कियान्वयन के उल्लंघन के संबंध में जन–सामान्य से प्राप्त होने वाली शिकायतों का संज्ञान लेगी और उल्लंघन की स्थिति में संबंधित विभाग से लिखित रूप में मंतब्य प्राप्त कर समिति अपनी सिफारिश सुधारात्मक कार्यवाही हेतु शासन/प्रशासकीय विभाग को भेजेगी।
2. समिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग से लिखित मंतब्य प्राप्त कर समिति अपनी सिफारिश सुधारात्मक कार्यवाही हेतु शासन/प्रशासकीय विभाग को भेजेगी।
3. समिति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सूचनाओं और जानकारियों को गोपनीय बनाए रखेगी एवं ऐसे किसी व्यक्ति अथवा पक्ष को कोई सूचना एवं जानकारी नहीं देगी जिसका इस मामले से संबंध न हो। केवल संबंधित पक्ष की सहमति पर सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
4. समिति उसके द्वारा प्रत्येक माह निष्पादित किये गये कार्यों/प्रकरणों की मासिक रिपोर्ट आगामी माह के प्रथम सप्ताह में सचिव सूचना, उत्तराखड शासन को प्रस्तुत करेगी। समिति सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी।
5. समिति के द्वारा मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु जो प्रक्रिया ऋजु एवं उचित हो, वह प्रक्रिया समिति स्वयं निर्धारित करेंगी। समिति स्वयं का प्रोसेस एवं प्रक्रिया शिकायतों के अनुश्रवण एवं उनके समाधान के लिए निर्धारित करेंगी।

5. कार्यकाल

समिति के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 02 वर्ष होगा, जिसे राज्य सरकार के द्वारा 01 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

6. निर्णय

समिति के निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर मान्य होंगे। चूंकि समिति में तीन सदस्य है, अतः ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि किसी मामले में तीनों सदस्यों का एकमत न हो। अतः ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए उचित होगा कि निर्णय बहुमत से होगें।

7. समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यं का त्यागपत्र एवं निष्कासन

1. समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य द्वारा अपने त्यागपत्र की सूचना लिखित में राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. राज्य सरकार समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य को हटा सकेगी, यदि वह :–
   (अ) दिवालिया घोषित हो गया हो या पूर्व में घोषित हुआ हो; अथवा
   (ब) किसी अपराध के लिए दोषसिद्व किया गया हो जो अनैतिक कृत्य से सम्बन्धित हो; अथवा
   (स)ऐसे किसी वित्तीय या अन्य हित जो सदस्य के रूप में उसके क़ार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हो; अथवा
   (द) पद के दुरूपयोग; अथवा
   (च) शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपने दायित्वों के निर्वहन में अक्षम हो गया हो,

8. मानदेय

(क) राज्य सरकार द्वारा समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रति बैठक हेतु ₹ 5,000/–की एक निश्चित धनराशि का मानदेय दिया जायेगा।

(ख)समिति की माह में सामान्यतः अधिकतम चार बैठक आयोजित होंगी। बैठक की तिथि का निर्धारण सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा।

(ग) अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों को राज्य के भीतर बैठक में प्रतिभाग करने के लिए अंपने निवास स्थान से कार्यालय आने–जाने हेतु प्रथम श्रेणी (लेवल–11, ₹ 67700–208700 के समतुल्य) का वाहन सुविधा/वास्तविकता के आधार पर किराया की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

9. बजट

राज्य सरकार द्वारा समिति के कार्यों के निष्पादन हेतु अलग से बजट का प्रावधान किया जायेगा।

10. अवस्थिति

1. समिति का कार्यालय एवं बैठक का स्थान सूचना निदेशालय, देहरादून होगा। संबंधित विभाग द्वारा समिति के कार्यालय हेतु दो कक्ष उपलब्ध कराये जायेंगे।
2. समिति के कार्यालय संबंधी कार्यों के सम्पादन हेतु दो मल्टी टास्क स्टाफ/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तथा दो चतुर्थ श्रेणी कार्मिक आउटसोर्स के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें।

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

Scanned by CamScanner

Guidelines for constitution of Uttarakhand Advertisement Monitoring Committee, 2019

Objective

In compliance with the decision/order passed by Hon'ble Supreme Court on date 13.05.2015 in WP (Civil) No. 13 of 2003 with WP (Civil) No. 197 of 2004 and WP (Civil) No 302 of 2012, the State Government has to constitute an unquestioned three–member Advertising Monitoring Committee for content regulation of government advertising with neutrality and impartiality. wherein there are such neutral and unpartial people who have excelled in their respective fields. Therefore, in compliance with the said order of the Hon'ble Supreme Court for content regulation of government advertisements, after due consideration, following guidelines are being laid to regulate the work/responsibilities, tenure, honorarium etc. of the committee for the content regulation of government advertisements:-

1. Structure of a Three Member Committee

1. Chairman- Chairman/Member, Retired All India Service Cadre, which not to be unsuitable at the level of Secretary to the Government or any senior journalist of repute;

2. Member- An eminent person working in the field of print media/advertisement;

3. Member- Member nominated from Uttarakhand by Press Council of India.

Additional Director or Joint Director level officer will be nominated as a Member Secretary of the three member monitoring committee by the Director General, Information.

2. Constitution of Search Committee for selection of committee

For the selection of a three-member committee with the prior permission of the competent authority, a search committee will be constituted by the State Government as follows:-

Scanned by CamScanner

(a) Chairman: Chief Secretary, Government of Uttarakhand;
(b) Member: Principal Secretary/Secretary, Law, Government of Uttarakhand;
(c) Member: Principal Secretary/Secretary, Information, Government of Uttarakhand;
(d) Member Secretary: Director General, Information and Public Relation Department.

Three member committee will be appointed by State Government through the panel of proposed name.

3. Jurisdiction of the Three Member Committee

All advertisements financed by the State Government which includes:-

1. All government departments of the State Government;
2. State's local bodies/autonomous institutions/boards/corporations;
3. All voluntary and other organizations which are financially aided by the State Government.

Provided that advertisement of such institutions which are not given any financial assistance/grant by the State Government will not be under the purview of this committee.

4. Functions and powers of the three-member committee

1. The committee will take cognizance of complaints received from the public regarding violation of implementation of the guidelines of the Hon'ble Supreme Court and in case of violation of implementation of guidelines, the committee will send its recommendation for taking corrective action to the administrative department after receiving the intent in writing from the concerned department.

2. The committee will take suo moto cognizance of violations of Hon'ble Supreme Court guidelines, receive written intent from department concerned and send its recommendation for taking corrective action to government/administrative department.

Scanned by CamScanner

3. During the discharge of its duties, Committee will maintain secrecy of information and details, and will not provide any information or detail to any such person or party which is not related to this case. Information will be provided only on the approval of the party concerned.

4. Monthly report of works/cases executed by the committee will present before the Secretary Information in first week of subsequent month. The committee will also present the annual report to the Secretary, Information Government of Uttarakhand.

5. For the speedy disposal of matters by the committee right and appropiriate process will be finalized by the Process Committee itself. Committee will decide the its process for the solution and monitoring of the complaints

5. Tenure

The tenure of each member of the committee will be for a maximum of two years, which may be extended for one year by the State Government.

6. Decisions

All the decisions of the committee will be valid on the basis of unanimity. Because committee has three members so there might be chances that all the three members not agreeing in some matters. In such a situation dicision will be taken by majority.

7. Resignation or removal of the committee's Chairman and Member

1. The chairman or member of the committee will provide information about his resignation in writing to the State Government.
2. The State Government may remove the chairman or member of the committee if:-

(a) Declared bankrupt or declared so in the past; or
(b) convicted for such a crime which is related to immoral act; or
(c) such any financial or other interest which is affected the work of member

[illegible] or

(d) Misuse of the post; or

(e) He has become physically or mentally incapable of discharging his duties.

8. Honorarium

(a) The State Government will give the fixed amount of Rs 5,000 per meeting as honorarium to the each member of the committee.

(b) Maximum four meetings of the committee will be held in a month generally. The date of the meeting will be decided by the member secretary.

(c) To participate in the meeting within the state by the Chairman and all the Members, to come to office from place of residence based on first class (Equivalent to Level-11, Rs. 67700-208700) vehicle facility or reimbursement of rent on reality basis will be permissible.

9. **Budget**

Separate budget provision will be made by the State Government for execution of the committee's work.

10. **Location**

(a) The location of the committee's office and meeting will be Directorate of Information Department, Dehradun. Two rooms for office of the committee will be provided by the concerned department.

(b) The State Government will provide two multi task staff/data entry operator and two Class IV personnel through outsource for the execution of the office related works of the committee.

(Dilip Jawalkar)
Secretary